कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई

क्र/एफ–166/स्टे.आयु./2021–22/3965 भिलाई, दिनांक 31/7/2021

//आदेश//

छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग महानदी भवन अटल नगर रायपुर के ज्ञापन क्रमांक एफ 5–21/2021/20 – तीन, दिनांक 26.07.2021 के अनुसार प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग की ऑफलाईन कक्षाएं प्रारंभ करने के संबंध में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। जिसके अनुक्रम में **कलेक्टर महोदय द्वारा समय – सीमा की बैठक में दिये गये निर्देशानुसार ऑफलाईन कक्षाएं प्रारंभ करने के संबंध में कोविड –19 गाईड लाईन क शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा अक्षरसः पालन किया जावे। अतः निम्नलिखित शर्तो के अधीन नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रान्तर्गत् शासकीय/अशासकीय/अनुदान प्राप्त विद्यालय खोलने की अनुमति दी जाती है।**

1. स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत सभी निजी एवं शासकीय विद्यालयों में कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं की कक्षायें सोमवार 02 अगस्त 2021 से प्रारंभ की जाए।
2. स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत सभी निजी एवं शासकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 वीं एवं कक्षा 8 वीं की कक्षायें प्रारंभ करने के संबंध में स्कूल की पालक समिति की अनुशंसा प्राप्त की जाए। साथ ही पालक की व्यक्तिगत सहमति, वार्ड पार्षद एवं स्कूल की पालन समिति की अनुशंसा प्राप्त की जाए। उनकी अनुशंसा प्राप्त होने पर ही यह कक्षायें सोमवार 2 अगस्त 2021 से प्रारंभ की जावे।
3. कक्षायें उन्हीं क्षेत्रों में प्रारंभ की जाए जिनमें कोरोना की पॉजिटिविटी दर 7 दिनों तक 1 प्रतिशत से कम हो।
4. विद्यार्थियों को कक्षाओं में 1 दिवस के अंतर पर बुलाया जाए। अर्थात प्रतिदिन केवल आधी संख्या में ही विद्यार्थी बुलाये जाए।
5. किसी भी विद्यार्थी को यदि सर्दी, खॉसी, बुखार आदि हो तो उसे कक्षा में नहीं बैठाया जाए।
6. ऑनलाईन कक्षायें यथावत संचालित की जाती रहेंगी।
7. किसी भी विद्यार्थी के लिए उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी।
8. केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी कोरोना संक्रमण से बचाव के निर्देशों का पूर्णतः पालन सुनिश्चत किया जाए।
9. सभी शिक्षण संस्थाओं के कमरों की साफ – सफाई ठीक प्रकार से की जावे।

तद्नुसार उपरोक्त नियम शर्तों का कड़ाई से पालन किये जाने शर्त पर स्कूल खोलने की अनुमति शैक्षणिक संस्था को दी जाती है।

(यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा)

(ऋतुराज रघुवंशी)
आई.ए.एस.
आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

क्रमश..2

पृ.क्र/एफ–166/स्टे.आयु./2021–22/3966 भिलाई, दिनांक 31/7/2021

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर सह प्रशासक महो. नगर पालिक निगम भिलाई को सादर सूचनार्थ।
2. अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम,भिलाई को सूचनार्थ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग की ओर सूचनार्थं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. उपायुक्त, I/II, नगर पालिक निगम,भिलाई को सूचनार्थ।
5. जोन आयुक्त /कार्यपालन अभियंता, जोन–1,2,3,4,5,6, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. प्रोग्रामर, डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम भिलाई को निगम के वेबसाईट (आदेश फाईल) में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ।
7. सर्व संबंधित प्राचार्य/प्रधान पाठक ....को उनके पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. संबंधित विभाग प्रमुख ....नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
9. अधीक्षक स्थापना, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई